JALAUN POLICE

दिनांक- 30.07.2026

कोतवाली उरई पुलिस द्वारा दिनांक 04.05.2026 को हुई सनसनी खेज वारदात जींद हरियाणा निवासी विजेन्द्र मोर का अपहरण कर हत्या के उपरान्त थाना क्षेत्र जलालपुर जिला हमीरपुर के जंगल मे शव को जलाकर साक्ष्य नष्ट करने की घटित घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल 50 हजार रुपये के इनामिया अभियुक्त व घटना की साजिश में शामिल एक महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

अवगत कराना है कि दिनांक 04.05.2026 को कोतवाली उरई क्षेत्र के रिनिया गाँव के अभीष्ठ तिवारी के खेत में बनी ट्यूबेल की कोठी से विजेन्द्र सिंह मोर पुत्र रघुवीर सिंह नि0 अमरहेडी सब्जी मण्डी रोड थाना सिविल लाईन जनपद जींद हरियाणा उम्र करीब 52 वर्ष का प्रातः काल 06.00 बजे अभि0गण 1.श्रीभगवान पुत्र धर्मपाल 2.संजीव उर्फ कोकला पुत्र गुरजैव नि0 गण शामलो कला थाना जुलाना जींद हरियाणा 3.मोहित मलिक पुत्र जय प्रकाश निवासीगण ग्राम शामलो कलां थाना जुलाना जिला जींद (हरियाणा) हाल पता न्यू कृष्णा कालोनी थाना सिटी जींद जनपद जींद हरियाणा 4.अमरजीत सुहाग पुत्र स्व0 जय भगवान सुहाग निवासी ग्राम बिसान थाना बेरी जिला झज्जर हरियाणा द्वारा अपहरण करके क्रेटा गाडी से ले जाया गया । अभियुक्तो द्वारा अपहृत विजेन्द्र मोर की हत्या करके शव को ग्राम कुपरा थाना क्षेत्र जलालपुर जनपद हमीरपुर के जंगल में ले जाकर 40 लीटर डीजल से जलाकर विजेन्द्र मोर के शव को नष्ट कर दिया गया । उक्त घटना में अपहरण व हत्या की साजिश मे आजाद सरपंच पुत्र कालीराम निवासी ग्राम निरजन थाना सदर जिला जींद हरियाणा व सपना रानी पत्नी मोहित मलिक निवासी ग्राम शामलो कलां थाना जुलाना जनपद जींद (हरियाणा) उम्र करीब 32 वर्ष हाल पता न्यू कृष्णा कालोनी थाना सिटी जींद जनपद जींद हरियाणा का नाम प्रकाश मे आया अभि0गण उपरोक्त श्रीभगवान, संजीव उर्फ कोकिला, मोहित मलिक व अमरजीत सुहाग की गिरफ्तारी के लिये पुलिस महानिरीक्षक झाँसी परिक्षेत्र झाँसी महोदय के द्वारा 50-50 हजार रुपये के इनाम घोषित किये गये है । उल्लेखनीय तथ्य है कि उक्त अभियुक्तो की पतारसी सुरागरसी में कोतवाली उरई से जा रही टीम मे सम्मिलित दो उपनिरीक्षक व दो आरक्षी व मुकदमा उपरोक्त के वादी अमरीक सिंह ड्राइवर की दिनांक 05.05.2026 को जनपद नूंह हरियाणा में एक्सीडेन्ट के दौरान मृत्यु हो गयी थी।

अपर पुलिस महानिदेशक महोदया , कानपुर जोन , कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय , झांसी परिक्षेत्र , झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल पर्यवेक्षण व अपर पुलिस अधीक्षक जालौन के नेतृत्व में कोतवाली उरई पुलिस टीम द्वारा दिनांक 29.07.2026 को उक्त घटना में शामिल अभि0 मोहित मलिक उपरोक्त व उक्त घटना के साजिश में शामिल उसकी पत्नी सपना रानी को ग्राम चितैला फार्म हाउस थाना क्षेत्र कदौरा जिला जालौन से गिरफ्तार किया गया और अभियुक्त मोहित मलिक की निशादेही पर मृतक विजेन्द्र मोर के शव के अधजले अवशेष ग्राम कूपरा जंगल थाना क्षेत्र जलालपुर जिला हमीरपुर से बरामद कर पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गयी।

घटना में शामिल अन्य वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी के लिये टीम लगाकर उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

पूछताछ विवरण- प्रारम्भिक पूँछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक विजेन्द्र मोर का अभियुक्ता सपना से अवैध सम्बन्ध थे बाद में सपना ने विजेन्द्र मोर को छोडकर मोहित मलिक से शादी कर ली थी जिसको लेकर विजेन्द्र मोर अक्सर मोहित मलिक व सपना को मारने की धमकी दिया करता था और विजेन्द्र मोर का आजाद सरपंच से जमीनी विवाद था । जिसमें मृतक विजेन्द्र मोर ने अपनी जमीन 5 करोड रुपये में आजाद सरपंच को बेच दी थी जिसमे विजेन्द्र मोर को केवल 1 करोड रुपये ही मिल पाये थे शेष पैसा बाकी था । जिसको आजाद सरपंच देना नही चाहता था इसी उद्देश्य से उसने श्रीभगवान, संजीव उर्फ कोकिला व अमरजीत को जमीन मे पार्टनशिप का लालच देकर विजेन्द्र मोर का पता लगाकर उसका अपहरण करके हत्या करने की सुपारी दी थी। अपने इस उद्देश्य में मोहित व उसकी पत्नी सपना को शामिल कर लिया था। घटना से 15 दिन पहले सपना और मोहित नें रिनिया फाटक के पास खेत में रेकी की थी।

अभियुक्तगण का विवरण-

1. मोहित मलिक पुत्र जय प्रकाश नि0 ग्राम शामलो कलां थाना जुलाना जिला जींद हरियाणा हाल पता न्यू कृष्णा कालोनी थाना सिटी जींद जनपद जींद हरियाणा उम्र करीब 31 वर्ष
2. सपना रानी पत्नी मोहित मलिक निवासी ग्राम शामलो कलां थाना जुलाना जनपद जींद (हरियाणा) हाल पता न्यू कृष्णा कालोनी थाना सिटी जींद जनपद जींद हरियाणा उम्र करीब 32 वर्ष

आपराधिक इतिहास –

मोहित मलिक पुत्र जय प्रकाश –

1.मु0अ0सं0 256/2026 धारा 140(1) ,305/103(1)238/61(2) बीएनएस थाना कोतवाली उरई जिला जालौन

2.मु0अ0सं0 37/2014 धारा 307 भादवि व 25/54/59 आर्म्स एक्ट थाना जुलाना जनपद जींद (हरियाणा)

सपना रानी पत्नी मोहित मलिक-

1. मु0अ0सं0 256/2026 धारा 140(1) ,305/103(1)238/61(2) बीएनएस थाना कोतवाली उरई जिला जालौन

2. मु0अ0सं0 38/2025 धारा 231/308(4)/338(ए)/356(2)/61 BNS थाना जींद सिटी जनपद जींद (हरियाणा)

बरामदगी का विवरण-

1. जलाये गये मृतक के हड्डियो के अवशेष
2. घटना कारित करते समय मृतक के शरीर पर लपेटे गये चद्दर का टुकडा।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली उरई मय टीम।